न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला–चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी डॉ. कृति व्यास (आर0,ए0,एस0)

संख्या प्रार्थना पत्र –116/2025

नानूराम उर्फ नान कंवर पुत्र काना, जाति भील, उम्र बालिग, निवासी ग्राम गोपालपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

1. कमली पुत्री काना, जाति भील, उम्र बालिग, निवासी ग्राम गोपालपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान।
2. धीसा पुत्र काना, जाति भील, उम्र बालिग, निवासी ग्राम गोपालपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान।
3. नन्दा पुत्र काना, जाति भील, उम्र बालिग, निवासी ग्राम गोपालपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान।
4. सजनी पुत्री काना, जाति भील, उम्र बालिग, निवासी ग्राम गोपालपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान।
5. हगामीबाई पत्नी काना, जाति भील, उम्र बालिग, निवासी ग्राम गोपालपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान।
6. हरलाल पुत्र काना, जाति भील, उम्र बालिग, निवासी ग्राम गोपालपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान ।
7. श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब रावतभाटा

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित – श्री जितेन्द्र कुमार राठौर प्रार्थी
पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 23.04.2026

प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी काश्त कि कृषि आराजीयात ग्राम गोपालपुरा, पटवार हल्का सणीता, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान मे स्थित होकर जिसकी जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या 52 की खसरा संख्या 129 कुल किता 01 रकबा 0.8300 हैक्टर जो खाते मुझ प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 के 1/7–1/7 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। जिस पर मैं प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। पैरा संख्या 01 मे वर्णित उक्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाईन जमाबंदी नकल मे मुझ प्रार्थी का नाम नानूराम लिखा हुआ है, जबकि मुझ प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता व पहचान पत्र मे मुझ प्रार्थी का नाम नान कंवर लिखा हुआ है। उक्त पैरा संख्या 01 में वर्णित आराजीयात का विरासत का इंतकाल खुलवाते समय हमारे परिवारजनो ने राजस्व रिकॉर्ड मे मुझ प्रार्थी का घर का तथा बचपन में पुकारे जाने वाला नाम नानूराम लिखवा दिया है इसलिए मुझ प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में नानूराम नाम दर्ज हो गया, जबकि मुझ प्रार्थी का नाम सभी दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता व पहचान पत्र आदि दस्तावेज में प्रार्थी का नाम नान कंवर लिखा हुआ है. इसलिए मेरे नाम कि इन्द्राज दुरूस्ती कर पैरा संख्या 01 में वर्णित आराजीयात मे मुझ प्रार्थी का नाम नानूराम उर्फ नान कंवर किया जाना न्यायोचित है। अंत मे निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजीयात मे प्रार्थी का नाम नानूराम उर्फ नान कंवर किये जाने का आदेश प्रदान कर इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार न्यायालय मे उपस्थित हो प्रकरण में वांछित रिपोर्ट दिनांक 01.04.2026 से पेश की गई। तहसीलदार रावतभाटा अनुसार ग्राम गोपालपुरा प0ह0 सणीता जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 52 आराजी संख्या 129 कुल किता 01 रकबा 0.83हे0 भूमि नानूराम पिता काना वगैराह जाति भील सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम नानूराम पिता काना दर्ज रिकार्ड है जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, जनआधार आदि में नान कंवर दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड अनुसार आराजी संख्या 129 पुराने साबिक आराजी संख्या 7/3 रकबा 0.83हे0 ग्राम मैंसरोडगढ़ प0ह0 मैंसरोडगढ़ से बना है। आराजी संख्या 7/3 रकबा 0.83हे0 का विरासत नामान्तरकरण संख्या 1327 दिनांक 07.12.2004 पर दर्ज किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी का नाम नानूराम पिता काना दर्ज किया गया जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजों में नानकंवर दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with OKEN Scanner

नानूराम व नानकंवर दोनो एक ही व्यक्ति है। नानूराम को नानकंवर नाम से भी जाना जाता है। नानकंवर का बचपन का नाम नानूराम है। बिन्दु संख्या 4 के संबंध में कोई जवाब अपेक्षित नहीं है। बिन्दु संख्या 05 न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है।

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं करने से व इकबाले जवाब पेश करने से एवं प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों व शपथ पत्रों एवं ग्राम पंचायत गोपालपुरा के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया है ग्राम गोपालपुरा, पटवार हल्का सणीता, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान में स्थित होकर जिसकी जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 कि खाता संख्या 52 कि खसरा संख्या 129 कुल किता 01 रकबा 0.8300 हैक्टर जो खाते मुझ प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 के 1/7–1/7 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है, उक्त भूमि मे प्रार्थी के बचपन का नाम नानूराम है, जबकि प्रार्थी का असल नाम नान कंवर होकर समस्त दस्तावेजों मे अंकित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का नाम नानूराम के स्थान पर नानूराम उर्फ नान कंवर करने के संबंध में इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–ःआदेशः–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–136 रा.ले.रे.एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम गोपालपुरा, पटवार हल्का सणीता, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान में स्थित होकर जिसकी जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 कि खाता संख्या 52 कि खसरा संख्या 129 कुल किता 01 रकबा 0.8300 हैक्टर भूमि में प्रार्थी का नाम नानूराम के स्थान पर नानूराम उर्फ नान कंवर दर्ज करने की इन्द्राज दुरुस्ती कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2026 को सुनाया गया

(डॉ. कृति व्यास)आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner